



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

27 जनवरी 2026

**भारतीय रिज़र्व बैंक और यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी ने केंद्रीय प्रतिपक्षकारों से संबंधित सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए**

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट्स अथॉरिटी (ईएसएमए) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षित केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) से संबंधित सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान संबंधी [समझौता ज्ञापन \(एमओयू\)](#) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन भारतीय रिज़र्व बैंक और ईएसएमए के बीच 28 फरवरी 2017 को निष्पादित एक पूर्ववर्ती समझौता ज्ञापन को प्रतिस्थापित करता है।

यह समझौता ज्ञापन भारतीय रिज़र्व बैंक और ईएसएमए को अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुरूप सीसीपी के संबंध में सहयोग करने में सक्षम बनाता है। यह समझौता ज्ञापन यूरोपीय संघ की वित्तीय स्थिरता की रक्षा करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक और पर्यवेक्षी गतिविधियों पर निर्भर रहने के लिए ईएसएमए के लिए एक ढांचा तैयार करता है। यह समझौता ज्ञापन अंतरराष्ट्रीय समाशोधन कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए सीमापारीय सहयोग के महत्व को भी दर्शाती है।

इस समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक विवेक दीप और ईएसएमए अध्यक्ष वेरेना रोस द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

(ब्रिज राज)

मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1997